Speed Post

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. RRPM/1/2017/MAGR7/SEOTH/RU-III

Date: 30.07.2019

To,

The Secretary,
Indian Council of Agricultural Research (ICAR),
Ministry of Agriculture,
Krishi Bhawan, New Delhi - 110001

Sub: Minutes of the Sitting taken by Ms. Anusuiya Uike, Hon'ble Vice Chairperson, NCST on 18.06.2019 on the issue of, atrocities, harassment, mental agony, ruining of service career of an employee of Scheduled Tribe community- request for intervention of this eminent commission. Representation dated 30.03.2017 of Shri R.R.P. Meena, Asstt. Admn. Officer, Division of Chemicals, IARI, Pusa Campus, New Delhi.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Proceedings of the Sitting taken by Ms. Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice -Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 18-06-2019 for information and necessary action.

It is, requested that action taken report in this regard may please be sent to the Commission within 15 days.

Encl: As above

Yours faithfully,

(Dr. Lalit Latta)
Director

Copy to:

1. Shri R.R.P.Meena,
   Qtr. No. 573, Kashi Kunj, IARI, New Delhi-110012

2. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- RRPM/1/2017/MAGR7/SEOTH/RU - III)

श्री आर.आर.पी.मीणा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी (सेवानिवृत), रसायन विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई ए आर आई),पूसा कैंपस, नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का उत्पीड़न एवं शोषण करने एवं करियर को बर्बाद करने और मानसिक रूप से परेशान करने के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 18.06.2019 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 18.06.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्री आर.आर.पी.मीणा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, रसायन विभाग, आई ए आर आई,पूसा कैंपस, नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का उत्पीड़न एवं शोषण करने एवं करियर को बर्बाद करने और मानसिक रूप से परेशान करने के संबंध में अभ्यावेदन दिया गया था। मामले में आयोग द्वारा संज्ञान लेकर सचिव, आई.सी.ए.आर, कृषि मंत्रालय को नोटिस भेजी गई थी।
2. मामले में विभाग द्वारा दिनांक 03.07.2017 को आयोग को अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब की प्रति अभ्यावेदक को भेजी गई जिस पर अभ्यावेदक ने असंतुष्टि जताते हुए प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया लेकिन विभाग द्वारा कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।
3. मामले में माननीय उपाध्यक्ष महोदया के निर्देशानुसार दिनांक 18.06.2019 को बैठक निर्धारित की गई तथा सचिव, आई सी ए आर को नोटिस भेजी गई।
4. आयोग ने अभ्यावेदक को पहले अपना पक्ष रखने को कहा, अभ्यावेदक ने बताया कि उनसे कनिष्ठ अधिकारी को पदोन्नति दी गई है लेकिन उन्हें नही दी गई इस संबंध में विभाग को नोटिस मिलने पर बताया गया कि उनका एपीआर शून्य है। इसके बाद विभाग से ये पूछे जाने पर कि उनका एपीएआर शून्य क्यों है तो इसके बाद विभाग द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
5. आई.सी.ए.आर के अधिकारी ने बताया कि श्री मीणा आई ए आर आई, पूसा कैंपस में पदास्थापित थे उस समय का इनका एपीएआर ग्रेड शून्य है। विभाग के नियमानुसार ग्रेड विवरण वरिष्ठ अधिकारी संयुक्त निदेशक के पास गया। उन्होंने भी इस ग्रेड को बरकरार रखा। इसके बाद निदेशक द्वारा भी उस ग्रेड को बरकरार रखा गया। इसकी पहली वजह

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

यह है कि इन्होंने काफी छुट्टियां ली दिनांक 10.8.2009 से 08.06.2011 के बीच करीब 196 दिन ये छुट्टी पर रहे। इनमें कई बार छुट्टी मंजूर नहीं होने पर भी श्री मीणा विभाग से गायब रहे। इसके साथ ही दिनांक 05.10.2012 से 21.11.2012 तक इनके पास गेस्ट हाउस का प्रभार था तब इनके पास करीब 43,500 रुपये जमा हुए। नियमानुसार इनको उसका टी.आर बनवाना था लेकिन इन्होंने नहीं बनवाना जिसके बाद इन पर चार्जशीट जारी हुई। इनके द्वारा 1 वर्ष बाद वह पैसा जमा कराया गया।

6. अभ्यावेदक ने कहा, ये सभी बातें गलत है उनके पास कोई प्रभार नहीं था उनके पास कुछ लिखित आदेश नहीं था और न ही कोई पैसा था। इसके उलट विभाग द्वारा ही स्थानांतरण के समय उनका पैसा रोक लिया गया था। मुझे फंसाया गया है।
7. आई.सी.ए.आर के अधिकारी ने बताया कि मीणा पर चार्जशीट हुआ था और उनके द्वारा सभी आरोप स्वीकार किए गए थे तभी उन पर निंदा का दंड लगा था। केंद्र का प्रभार उनके पास ही था वे केंद्र के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी थे। सेवानिवृत्ति के करीब होने के कारण विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई नहीं की गई थी।
8. अभ्यावेदक ने बताया, उनको जो चार्जशीट मिला था वह सेवानिवृत्ति से पहले का था और उसमें निंदा का दंड लगाया गया था। बिहार के संस्था प्रमुख ने उनको झूठे केस में फंसाया था। चार्जशीट के बाद जांच होने पर उन्हें निर्दोष माना गया था।
9. आई.सी.ए.आर के अधिकारी ने कहा, अगर वे दोषी नहीं थे तब उनको अगले प्राधिकारी के पास अपील करना चाहिए था। आर.आर.पी मीणा सेवानिवृत्ति के करीब थे इसलिए विभाग द्वारा इनके मामले में उदार दृष्टिकोण अपनाया गया था। बिना छुट्टी वे कार्यालय से गायब रहते थे। मेडिकल प्रमाण पत्र इनको कार्यालय के जिला का देना था लेकिन इनके द्वारा अलवर का दिया गया था।
10. अभ्यावेदक ने कहा, उनके उपर झूठा केस दर्ज कर किया गया। उनसे कनिष्ठ लोगों को पदोन्नति दी गई लेकिन उन्हें नहीं दी गई। विभाग द्वारा पूरी जानकारी नहीं दी गई। उनकी सभी छुट्टियां स्वीकृत हुई थी।
11. आयोग द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात निम्नलिखित अनुशंसा की गई-
    - आई ए आर आई द्वारा श्री आर.आर.पी.मीणा की पदोन्नति नहीं किए जाने और इनके ऊपर की गई कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जवाब आयोग को प्रस्तुत की जाए साथ ही इसकी प्रति अभ्यावेदक को भी उपलब्ध कराई जाए।

उपरोक्त अनुशंसा के अनुपालन में कार्यवृत्त प्राप्त होने के 15 कार्य दिवस के अंदर कार्यवाही रिपोर्ट से आयोग को अवगत कराएं।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- RRPM/1/2017/MAGR7/SEOTH/RU - III)

श्री आर.आर.पी.मीणा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी (सेवानिवृत), रसायन विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई ए आर आई),पूसा कैंपस, नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का उत्पीड़न एवं शोषण करने एवं करियर को बर्बाद करने और मानसिक रूप से परेशान करने के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 18.06.2019 को आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मियों की सूची-

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
  - (1.) सुश्री अनुसुईया उईके, — माननीय उपाध्यक्ष
  - (2.) डॉ ललित लट्टा, — निदेशक
  - (3.) श्री गौरव कुमार, — उपाध्यक्ष महोदया के निजी सचिव
  - (4.) श्री आलोक कुमार द्विवेदी, — परामर्शक
- **आईसीएआर, कृषि मंत्रालय**
  - (1.) श्री पुष्पेंद्र कुमार, — मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
  - (2.) श्री अनिल मैथानी, — वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
- **अभ्यावेदक**
  - (1.) श्री आर.आर.पी.मीणा